न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी–हरि सिंह मीना(आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या–डिक्री 06/2017
पंजीयन दिनांक 12.01.2017

(1). नरेन्द्र कुमार उर्फ नरेन्द्र पिता स्वर्गीय नारायण जाति ब्राहम्ण निवासी जन्तई तहसील बड़ीसादड़ी जिला चित्तौड़गढ़।
(2). अनोखीलाल पिता स्वर्गीय नारायण जाति ब्राहम्ण निवासी जन्तई तहसील बड़ीसादड़ी जिला चित्तौड़गढ़।
(3). राधेश्याम पिता स्वर्गीय नारायण जाति ब्राहम्ण निवासी जन्तई तहसील बड़ीसादड़ी जिला चित्तौड़गढ़।
(4). ओमप्रकाश पिता स्वर्गीय नारायण जाति ब्राहम्ण निवासी जन्तई तहसील बड़ीसादड़ी जिला चित्तौड़गढ़।
(5). गीताबाई पत्नी स्वर्गीय नारायण जाति ब्राहम्ण निवासी जन्तई तहसील बड़ीसादड़ी जिला चित्तौड़गढ़।

–अपीलांट्गण

बनाम

(1). शंकरलाल पिता छगनलाल मुतबन्ना गोकल जाति ब्राहम्ण निवासी जन्तई तहसील बडीसादड़ी, हाल मुकाम बिलोदा तहसील डूंगला जिला चित्तौड़गढ़।
(2). जमनालाल पिता छगनलाल जाति ब्राहम्ण निवासी जन्तई तहसील बडीसादड़ी, हाल मुकाम बिलोदा तहसील डूंगला जिला चित्तौड़गढ़।
(3). सवराम पिता छगनलाल जाति ब्राहम्ण निवासी जन्तई तहसील बडीसादड़ी, हाल मुकाम बिलोदा तहसील डूंगला जिला चित्तौड़गढ़।
(4). पन्नालाल पिता पोखर जाति ब्राहम्ण निवासी जन्तई तहसील बडीसादड़ी, जिला चित्तौड़गढ़।
(5). चन्द्रप्रकाश पिता पोखर जाति ब्राहम्ण निवासी जन्तई तहसील बडीसादड़ी, जिला चित्तौड़गढ़।
(6). रतनलाल पिता पोखर जाति ब्राहम्ण निवासी जन्तई तहसील बडीसादड़ी, जिला चित्तौड़गढ़।
(7). रामेश्वरलाल पिता पोखर जाति ब्राहम्ण निवासी जन्तई तहसील बडीसादड़ी जिला चित्तौड़गढ़।
(8). उप पंजीयक महोदय बडीसादड़ी तहसील बडीसादड़ी जिला चित्तौड़गढ़।
(9). राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार बडीसादड़ी तहसील बडीसादड़ी जिला चित्तौड़गढ़(राज0)।

–रेस्पोडेन्ट्गण

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
विरूद्ध निर्णय एवं आदेश न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बडीसादडी
प्रकरण संख्या 33/2016 निर्णय एवं आदेश दिनांक 30.06.2016

उपस्थित वक्त बहस-(1). सावन श्रीमाली-अधिवक्ता अपीलांट्गण
(2). प्रमोद दाधीच - रेस्पोडेन्ट संख्या 2, 3
(3). चन्दनमल जणवा-अधिवक्ता रेस्पो0 सख्या 1, 4 से 7
(4). पूरणमल स्वर्णकार-राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 8, 9

निर्णय **दिनांक 22.08.2022**

राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)

प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि वादीगण अपीलांट्गण ने एक वादपत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 53, 188, 209 के अन्तर्गत इस आशय का प्रस्तुत किया कि मौजा जन्तई तहसील बडीसादड़ी की खाता संख्या 161 मे दर्ज आराजी संख्या 501, 539, 645, 647, 670, 674, 706, 710, 711, 730, 739 कुल किता 11 कुल रकबा 2.44 हैक्टेयर स्थित होकर वर्तमान मे वादीगण अपीलांट्गण के नाम 1/6 हिस्सा व प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नाम 1/2 हिस्सा, प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के नाम 1/6 हिस्सा व प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट संख्या 3 के नाम 1/6 हिस्सा राजस्व रेकॉर्ड मे दर्ज होकर उक्त आराजीयात वादीगण अपीलांट्गण व प्रतिवादीगण रेस्पोडेन्ट्गण संख्या 2 व 3 की पैतृक आराजी है। वादीगण अपीलांट्गण के परिवार के मूल पुरूष छगनलाल के चार वारिस उसके पुत्र शंकरलाल, जमनालाल, सवराम, नारायण हुए । शंकरलाल गोकल के गोद चला गया। नारायण के वारिस उसके पुत्र नरेन्द्र, अनोखीलाल, राधेश्याम, ओमप्रकाश व गीताबाई है। नारायण की मृत्यु हो चुकी है। शंकरलाल गोकल के गोद जाने से उसका छगनलाल की जायदाद मे कोई हिस्सा नहीं रहा है। तथा जमनालाल, सवराम व नारायण ही छगनलाल की सम्पत्ति के अधिकारी है। उक्त वर्णित विवादित कृषि आराजीयात वादीगण अपीलांट्गण वादीगण के पिता नारायण की पैतृक आराजीयात होकर उक्त वर्णित विवादित कृषि आराजीयात संयुक्त परिवार की सम्पत्ति होकर छगनलाल के पुत्र शंकरलाल के गोकल के गोद चले जाने व गोकल को उक्त आराजीयात बहैसियत गोदीपुत्र धारीत करने से छगनलाल की आराजीयात मे शंकरलाल का कोई हक हिस्सा नहीं रहा है तथा उक्त वर्णित आराजी मे वादीगण अपीलांट्गण का 1/3 हिस्सा प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट संख्या 2 जमनालाल का 1/3 हिस्सा व प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट संख्या 3 सवराम का भी 1/3 हिस्सा होकर इसी अनुसार विगत 50-60 वर्षो से काबिज काश्त

राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)

हिन्दु कानून के तहत भी गोकल जी के गोद चले जाने से शंकरलाल का छगनलाल की आराजी से कोई लेना देना नहीं है तथा उक्त आराजी सं शंकरलाल का नाम हटाया जाकर वादीगण अपीलांटगण का 1/3 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 2 जमनालाल का 1/3 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 3 सवराम का 1/3 हिस्सा होने से उक्त अनुसार वादीगण अपीलांटगण अपने 1/3 भाग की घोषणा उपरोक्त हक हिस्से अनुसार कराने के अधिकारी है। साथ ही अपने-अपने हक हिस्से अनुसार व मौके पर कब्जे अनुसार उक्त आराजीयात का वादीगण अपीलांटगण व प्रतिवादीगण रेस्पोडेन्टगण के मध्य बंटवाड़ा किया जाकर वादीगण अपीलांगण के 1/3 हिस्से का पृथक से राजस्व रेकॉर्ड मे दर्ज किये जाने का निवेदन किया व रेस्पोडेन्टगण प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किये जाने का निवेदन किया।

उक्त आशय का वादपत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना मे प्रतिवादीगण जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए व पत्रावली वास्ते जवाब व तलबी हेतु नियत की गई। दिनांक 03.06.2016 को पत्रावली लोक अदालत कैम्प मे रखी जाकर उक्त वर्णित विवादित कृषि आराजीयात मे वादीगण अपीलांटगण का 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट संख्या 2 का 1/3 हिस्सा व प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट संख्या 3 सवराम का 1/3 हिस्सा घोषित किया जाकर प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 शंकरलाल को गोकल के गोद चले जाने से व उसके गोकल की आराजीयात पर गोदपुत्र के रूप मे काबिज होने से छगनलाल की आराजीयात पर गोकल का कोई हक अधिकार नहीं होना मानते हुए उक्त वर्णित विवादित कृषि आराजीयात मे गोकल का नाम उक्त खाते से हटाया जाकर उक्त हिस्से अनुसार व मौके पर कब्जे अनुसार विभाजन किये जाने हेतु तहसीलदार बडीसादडी को कमिश्नर नियुक्त किया जाकर उक्त वर्णित विवादित कृषि आराजीयात के विभाजन की प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित की जाकर तहसीलदार बडीसादडी को उक्त आराजीयात का विभाजन प्रस्ताव तैयार कर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे प्रस्तुत किये जाने हेतु आदेशित किया गया व पत्रावली विभाजन प्रस्ताव देखने हेतु नियत की गई। तत्पश्चात प्रतिवादीगण रेस्पोडेन्टगण की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 जाप्ता दीवानी व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 जाप्ता दीवानी का प्रस्तुत किया जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री निरस्त किये जाने का निवेदन किया साथ ही प्रतिवादी शंकरलाल द्वारा अपने हिस्से को विक्रय कर दिये जाने से केतागण को पक्षकार मुकदमा बनाये जाने का निवेदन किया। उक्त प्रार्थना-पत्रों पर सुनवाई करते हुए अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 30.06.2016 को केतागण रेस्पोडेन्टगण संख्या 4 से 7 पन्नालाल, चन्द्रप्रकाश, रतनलाल व रामेश्वरलाल

राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)

को प्रकरण मे आवश्यक पक्षकार होना मानते हुए प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 03.06.2016 को निरस्त किया जाकर केतागण रेस्पोडेन्टगण संख्या 4 से 7 को पक्षकार मुकदमा बनाये जाने का निर्णय पारित किया।

अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.06.2016 से असंतुष्ट होकर अपीलांटगण वादीगण ने यह अपील अंदर म्याद प्रस्तुत की है। अपीलांटगण वादीगण की ओर से प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना मे रेस्पोडेन्टगण जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया व पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई।

अपील के साथ प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा-5 कानून म्याद अधिनियम 1963 मय शपथ-पत्र प्रस्तुत किया जाकर अपील मे हुई देरी को क्षम्य किये जाने की प्रार्थना की।

न्यायहित मे प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा-5 कानून म्याद अधिनियम 1963 मय शपथ-पत्र स्वीकार किया जाकर अपील मे हुई देरी को क्षम्य किया जाकर अपील अंदर म्याद शुमार की जाति है।

अधिवक्ता अपीलांटगण ने अपील मेमो मे अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादीगण अपीलांटगण की ओर से प्रस्तुत खातेदारी घोषणा, बंटवाड़ा, स्थाई निषेधाज्ञा का वादपत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना मे प्रतिवादीगण जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। दिनांक 03.06.2016 को पत्रावली लोक अदालत कैम्प कचूमरा मे रखी जाकर उभय पक्षकारान की ओर से प्रस्तुत राजीनामा अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा स्वीकार किया जाकर उक्त वर्णित विवादित कृषि आराजीयात मे वादीगण अपीलांटगण का 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट संख्या 2 का 1/3 हिस्सा व प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट संख्या 3 सवराम का 1/3 हिस्सा घोषित किया जाकर प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 शंकरलाल को गोकल के गोद चले जाने से व उसके गोकल की आराजीयात पर गोदपुत्र के रूप मे काबिज होने से छगनलाल की आराजीयात पर गोकल का कोई हक अधिकार नहीं होना मानते हुए उक्त वर्णित विवादित कृषि आराजीयात मे गोकल का नाम उक्त खाते से हटाया जाकर उक्त हिस्से अनुसार व मौके पर कब्जे अनुसार विभाजन किये जाने हेतु तहसीलदार बडीसादडी को कमिश्नर नियुक्त किया जाकर उक्त वर्णित विवादित कृषि आराजीयात के विभाजन की प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित की जाकर तहसीलदार बडीसादडी को उक्त आराजीयात का विभाजन प्रस्ताव तैयार कर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे प्रस्तुत किये

जाने हेतु आदेशित किया गया। तत्पश्चात अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे प्रतिवादीगण रेस्पोडेन्टगण की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 जाप्ता दीवानी व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 जाप्ता दीवानी का प्रस्तुत किया जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री निरस्त किये जाने का निवेदन किया साथ ही प्रतिवादी शंकरलाल द्वारा अपने हिस्से को विक्रय कर दिये जाने से केतागण को पक्षकार मुकदमा बनाये जाने का निवेदन किया। उक्त प्रार्थना-पत्रों पर सुनवाई करते हुए अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा केतागण प्रतिवादीगण रेस्पोडेन्टगण पन्नालाल, चन्द्रप्रकाश, रतनलाल व रामेश्वरलाल को प्रकरण मे आवश्यक पक्षकार होना मानते हुए प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 03.06.2016 को निरस्त किया जाकर केतागण को पक्षकार मुकदमा बनाये जाने का निर्णय पारित किया। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 03.06.2016 को पारित निर्णय व डिक्री जो उभय पक्षकारान के मध्य आपसी राजीनामे के तहत पारित की गई है, उक्त निर्णय व डिक्री को अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्टगण सख्या 4 से 7 के आवेदन से निरस्त करने का अधिकार नहीं है। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 09.06.2016 को रतनलाल पिता पोखरलाल द्वारा हस्ताक्षरित आवेदन व शपथ-पत्र पेश किया है । प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 शंकरलाल द्वारा हस्ताक्षर कर कोई आवेदन पेश नहीं किया गया है। दिनांक 03.06.2016 को निर्णय व डिक्री पारित होने के पश्चात आदेश 1 नियम 10 जाप्ता दीवानी के प्रावधान लागू नहीं होते है और न ही किसी को पक्षकार बनाया जा सकता है। दिनांक 09.06.2016 को आदेश 9 नियम 13 का आवेदन प्रस्तुत किया गया जिसको अलग से दर्ज किया जाना आवश्यक था परन्तु अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा उक्त आवेदन को प्रस्तुत वादपत्र मे ही निर्णित किया गया है जो कि विधिपूर्वक नहीं है। इस प्रकार अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा प्रार्थना-पत्र आदेश 9 नियम 13 के संबंध मे पारित आदेश विधिपूर्वक नहीं है क्योंकि वादग्रस्त आराजीयात को विक्रय करने के पश्चात आदेश 1 नियम 10 जाप्ता दीवानी का प्रार्थना-पत्र डिक्री पारित किये जाने के बाद पक्षकार कायम किये जाने हेतु प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। केवल प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा-96 जाप्ता दीवानी अपील के साथ प्रस्तुत किया जाकर पक्षकार कायम किये जाने की दाद प्राप्त की जा सकती है। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने दिनांक 03.06.2016 को पत्रावली पर पेश शुदा दस्तावेजात से प्रमाणित था कि शंकरलाल गोकल जी के गोद चले गये और गोकल जी के पुत्र के रूप मे गोकल जी की आराजीयात पर काबिज है और इसलिए छगनलाल जी की आराजीयात मे शंकरलाल का कोई अधिकार नहीं है। इस तथ्य को अपील न्यायालय ही विवेचन कर निर्णय कर सकती थी जिससे अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय को अपने द्वारा पारित निर्णय दिनांक 03.06.2016 की पालना

राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौड़गढ़

राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)

स्थगित करने एवं खारिज करने का कोई अधिकार नहीं था। दिनांक 09.06.2016 को प्रस्तुत आवेदन की कोई नकल वादीगण को जारी नहीं की गई। वादीगण को जवाब व सुनवाई का मौका नहीं दिया गया और विधि विपरीत तरीके से दिनांक 03.06.2016 को पारित निर्णय व डिक्री को निरस्त कर दिया गया जो न्यायोचित नहीं होने से अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व आदेश दिनांक 30.06.2016 निरस्त किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस मे निवेदन किया कि वादीगण अपीलांट्गण की ओर से प्रस्तुत खातेदारी घोषणा, बंटवाड़ा, स्थाई निषेधाज्ञा का वादपत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना मे प्रतिवादीगण जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। दिनांक 03.06.2016 को पत्रावली लोक अदालत कैम्प कचूमरा मे रखी जाकर उभय पक्षकारान की ओर से राजीनामा प्रस्तुत किया गया जिसकी जानकारी प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 शंकरलाल को नहीं थी। उक्त राजीनामे पर सहमति के रूप मे प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 शंकरलाल के हस्ताक्षर भी नहीं है। फिर भी उक्त राजीनामे को अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा स्वीकार किया जाकर उक्त वर्णित विवादित कृषि आराजीयात मे वादीगण अपीलांट्गण का 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट संख्या 2 का 1/3 हिस्सा व प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट संख्या 3 सवराम का 1/3 हिस्सा घोषित किया जाकर प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 शंकरलाल को गोकल के गोद चले जाने से व उसके गोकल की आराजीयात पर गोदपुत्र के रूप मे काबिज होने से छगनलाल की आराजीयात पर गोकल का कोई हक अधिकार नहीं होना मानते हुए उक्त वर्णित विवादित कृषि आराजीयात मे गोकल का नाम उक्त खाते से हटाया जाकर उक्त हिस्से अनुसार व मौके पर कब्जे अनुसार विभाजन किये जाने हेतु तहसीलदार बडीसादडी को कमिश्नर नियुक्त किया जाकर उक्त वर्णित विवादित कृषि आराजीयात के विभाजन की प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित की जाकर तहसीलदार बडीसादडी को उक्त आराजीयात का विभाजन प्रस्ताव तैयार कर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे प्रस्तुत किये जाने हेतु आदेशित किया गया। इस प्रकार अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा बिना साक्ष्य व बिना जवाबदावे के व उभय पक्षकारान के मध्य बिना किसी लिखित राजीनामे के लोक अदालत के तहत प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित की है जो न्यायोचित नहीं होने से प्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट्गण संख्या 4 से 7 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 जाप्ता दीवानी अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा उक्त आराजीयात मे निहित स्वयं का हिस्सा प्रतिवादीगण रेस्पोडेन्ट्गण संख्या 4 से 7 को विक्रय किये जाने से उन्हे आवश्यक पक्षकार होने से पक्षकार मुकदमा कायम किये

जाने व दिनांक 03.06.2016 को पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री को निरस्त किये जाने का निर्णय व आदेश पारित किया है जो न्यायोचित होने से अपीलांट्गण वादीगण की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। अन्त मे अपील अपीलांट्गण वादीगण अस्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व आदेश दिनांक 30.06.2016 यथावत रखे जाने की प्रार्थना की।

राजकीय अधिवक्ता प्रतिवादीगण रेस्पोडेन्ट्गण संख्या 8 व 9 ने अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व आदेश को विधि सम्मत होना बताते हुए अपीलांट्गण वादीगण द्वारा प्रस्तुत अपील निरस्त किये जाने की प्रार्थना की।

हमने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर विधिपूर्ण मनन किया। न्यायालय हाजा की पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली व रेकॉर्ड का अवलोकन किया। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादीगण अपीलांट्गण की ओर से प्रस्तुत खातेदारी घोषणा, बंटवाड़ा, स्थाई निषेधाज्ञा का वादपत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना मे प्रतिवादीगण जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। दिनांक 03.06.2016 को पत्रावली लोक अदालत कैम्प कचूमरा मे रखी जाकर उभय पक्षकारान की ओर से प्रस्तुत लिखित राजीनामा अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा स्वीकार किया जाकर उक्त वर्णित विवादित कृषि आराजीयात मे वादीगण अपीलांट्गण का 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट संख्या 2 का 1/3 हिस्सा व प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट संख्या 3 सवराम का 1/3 हिस्सा घोषित किया जाकर प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 शंकरलाल को गोकल के गोद चले जाने से व उसके गोकल की आराजीयात पर गोदपुत्र के रूप मे काबिज होने से छगनलाल की आराजीयात पर गोकल का कोई हक अधिकार नहीं होना मानते हुए उक्त वर्णित विवादित कृषि आराजीयात मे गोकल का नाम उक्त खाते से हटाया जाकर उक्त हिस्से अनुसार व मौके पर कब्जे अनुसार विभाजन किये जाने हेतु तहसीलदार बडीसादडी को कमिश्नर नियुक्त किया जाकर उक्त वर्णित विवादित कृषि आराजीयात के विभाजन की प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित की जाकर तहसीलदार बडीसादडी को उक्त आराजीयात का विभाजन प्रस्ताव तैयार कर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे प्रस्तुत किये जाने हेतु आदेशित किया गया। तत्पश्चात अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे प्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट्गण संख्या 4 से 7 की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 जाप्ता दीवानी व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 जाप्ता दीवानी का प्रस्तुत किया जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री निरस्त किये जाने का निवेदन किया साथ ही प्रतिवादी शंकरलाल द्वारा अपने हिस्से को विक्रय कर दिये जाने से

राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)

केतागण को पक्षकार मुकदमा बनाये जाने का निवेदन किया। इस प्रकार प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित किये जाने के उपरांत केतागण को पक्षकार कायम किये जाने बाबत अनुतोष अपीलीय न्यायालय मे प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा-96 जाप्ता दीवानी प्रस्तुत कर ही प्राप्त किया जा सकता था परन्तु उक्त प्रार्थना-पत्रों पर सुनवाई करते हुए अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा केतागण प्रतिवादीगण रेस्पोडेन्टगण पन्नालाल, चन्द्रप्रकाश, रतनलाल व रामेश्वरलाल को प्रकरण मे आवश्यक पक्षकार होना मानते हुए प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 03.06.2016 को निरस्त किया जाकर केतागण को पक्षकार मुकदमा बनाये जाने का निर्णय पारित किया है जो विधि अनुरूप नहीं होने से अपीलांटगण वादीगण की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

फलस्वरूप अपील अपीलांटगण वादीगण स्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बडीसादडी प्रकरण संख्या 33/2016 निर्णय व आदेश दिनांक 30.06.2016 निरस्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 22.09.2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली निर्णय व आदेश की सत्यप्रति के साथ अविलम्ब लौटायी जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)

(हरिसिंह मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़(राज0)